



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 354 का संशोधन सहित नवीकरण
Renewal cum Amendment of Type Approval Number: 354
विषय /Sub: नॉन रिटर्न वाल्व फ्लैप, पार्ट सं. 126400000
Non Return Valve Flap, Part No.: 126400000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एचएएल, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (ए एस ई आर डी सी), लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ - 226 016 द्वारा उत्पादित " नॉन रिटर्न वाल्व फ्लैप", पार्ट सं. 126400000, को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 08 फरवरी 1982 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 354 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-354-आर, दिनांक 21 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

This is to state that the "Non Return Valve Flap" bearing the Part No. 126400000, designed and developed by M/s. HAL, Aerospace Systems & Equipment Research and Design Centre (ASERDC), Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016, was issued with Type Approval Number: 354, vide reference number: Aero/RD-132/106/8, dated: 08th February 1982. It was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-354-R, Dated: 21st November 2013 with its validity up to 31st December 2018.

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 354 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। वर्ग अनुमोदन कम्प्लाइंस स्टेटमेंट में निम्नलिखित को जोड़िए:

The following amendment is effected in the subject Type Approval number: 354. Add the following in Type Record Compliance Statement:

ACBS No.:	126400000, Issue - '1D', Dated: 13th December 2014
------------------	--

3. आर सी एम ए (लखनऊ) की सिफारिशों के अनुसार संदर्भ सं. आर सी एम ए(एल के ओ)/, 341/3/टेक/3, दिनांक 15 अक्टूबर 2018 द्वारा, उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 354 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा |

Based on recommendation by RCMA (Lko) vide Ref No. RCMA(Lko)/341/3/Tech/3, Dated: 15th October 2018, the following amendment is effected in the subject Type Approval number: 354:

Wherever/ For	Read as
Nomenclature: Non Return Valve Flap	Nomenclature: Non Return Valve (Flap Type)

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

5. संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 08 फरवरी 1982 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: Aero/RD-132/106/8, dated: 08th February 1982 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency].”

6. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाण पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-354/2R

दिनांक / Date : 20 December 2018

फैक्ससं /Fax No: 080-25230856

K. R

P. Jayapal

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)